

Form-1
(For Liner Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate, Haridwar

No.....711/D.L.HC-2022

Dated.....20/09/2022

TO WHOM IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Govt. of India Letter no. 11-09/98-FC 9 (Pt.) Dated 28 October, 2014 it is certified that 1.6535 Hectares Of Forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand Haridwar City for Development of 6-lane (Green Field) access controlled Spur to Haridwar UP/Uttarakhand Border near Manakpur Adampur Village (Chainage 19+070) to Manoharpur Village (Chainage 50+090) in Haridwar District of Uttarakhand State of protected forest falling in the State of Uttarakhand in District-Haridwar According to this letter, (Copy of letter enclosed herewith for your ready reference please) for the projects like laying of pipelines/Optical Fibres, Transmission lines etc. where liner diversion of use of forest land in several villages are involved, unless recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- Agricultural Communities are being affected, are exempted from the requirement of obtaining the consent of the concerned Gram-Sabha (s) as stipulated in clause(c) read with clause(e) and clause(f) in the second para of the Ministry's said letter dated 03-08-2099.

It is further certified that Forest Land Proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in village having no recorded population of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act. 2006) as per census-2001 and the census-2011. This proposal does not involve recognized right of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities. A copy Sub Division Level Committee and District Level Committee are enclosed as Annex-A, and B.

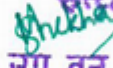
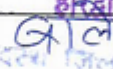

District Magistrate
Haridwar
(Uttarakhand)
जिला मजिस्ट्रेट
हरिद्वार

Enclosed: As above.

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार
जिला स्तरीय समिति

जनपद-हरिद्वार शहर के अन्तर्गत प्रस्तावित 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड बॉर्डर मानकपुर आदमपुर ग्राम के निकट (कि०मी० 19+070) से ग्राम मनोहरपुर (कि०मी० 50+090) तक परियोजना निर्माण हेतु 1.6535 हेक्टे० संरक्षित वन भूमि का प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों के मान्यता) अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 20/07/2022 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हुए।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम-2006 एवं 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक श्री विनय शंकर पाण्डेय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	अधिकारीका नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री विनय शंकर पाण्डेय	जिलाधिकारी, हरिद्वार	 जिलाधिकारी हरिद्वार
2.	श्री मयंक शेखर झा	डी०एफ०ओ०, हरिद्वार	 उप वन संरक्षक हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार
3.	श्री टिका राम मलेठा	जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार	 जिला समाज कल्याण अधिकारी हरिद्वार
4.	श्रीमती बालेष्ट देवी	जिला पंचायत सदस्य	 सदस्य जिला पंचायत वार्ड नं०-22 इमली जड़ (हरिद्वार)

इस बैठक में उक्त प्रस्ताव पर अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right एवं Settlement के सम्बन्ध में चर्चा व विमर्श किया गया। उक्त समिति के प्रस्तुत प्रस्ताव/आख्या के अनुसार वर्तमान में विचाराधीन उक्त वन-भूमि हस्तांतरण में यह पाया गया कि हरिद्वार वन प्रभाग की संरक्षित वन भूमि के चिन्हित भू-भाग हस्तांतरण में यह पाया गया कि हरिद्वार वन प्रभाग की संरक्षित वन भूमि के चिन्हित भू-भाग पर वन अधिकारों हेतु किसी अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का Right एवं Settlement की कार्यवाही अपंक्षित नहीं है। अतः वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन किया जाता है। अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन किया गया।


जिलाधिकारी
हरिद्वार
(उत्तराखण्ड)
हरिद्वार

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:- जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम-हलगोया) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम-अतमलपुर बाँगला) तक 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाल परियोजना अन्तर्गत विकास के कि०मी० 19.060 से कि०मी० 50.700 तक निर्माण हेतु।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुड़की

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, हरिद्वार

उपखण्ड हरिद्वार परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड बॉर्डर मानकपुर आदमपुर ग्राम के निकट (कि०मी० 19+070) से ग्राम मनोहरपुर (कि०मी० 50+090) तक परियोजना निर्माण हेतु 1.6535 हेक्टे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, पी०आई०यू०-रूड़की, हरिद्वार प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील रुड़की) की दिनांक 29/08/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक श्री विजय नाथ शर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

- 1- श्री विजय नाथ शर्मा उपजिलाधिकारी
- 2- श्री सती सतीपा शास्त्री उप प्रभागीय वनाधिकारी
- 3- श्री विजय शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- 4- श्री योगेन्द्र कुमार बी०डी०सी० क्षेत्र मेहवड़ कला

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद हरिद्वार अन्तर्गत 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड बॉर्डर मानकपुर आदमपुर ग्राम के निकट (कि०मी० 19+070) से ग्राम मनोहरपुर (कि०मी० 50+090) तक परियोजना निर्माण हेतु 1.6535 हेक्टे० संरक्षित वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०-रूड़की, हरिद्वार प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकारी का कोई मामला लंबित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुसंशा की गई है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
हरिद्वार वन प्रभाग
हरिद्वार

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
(विकास खण्ड-रूड़की)

क्षेत्र पंचायत सदस्य
योगेन्द्र कुमार
वि० ख० रुड़की
ग्राम मेहवड़ कला (हरिद्वार)

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूड़की द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदक पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/क्षेत्र पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से तहसील रूड़की परिक्षेत्र के अन्तर्गत 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड बॉर्डर मानकपुर आदमपुर ग्राम के निकट (कि०मी० 19+070) से ग्राम मनोहरपुर (कि०मी० 50+090) तक परियोजना निर्माण हेतु 1.6535 हेक्ट० वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०-रूड़की, हरिद्वार, प्रयोक्त एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील रूड़की
जनपद-हरिद्वार

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील रूड़की
जनपद-हरिद्वार

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम:- जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम-हलगोया) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम-अतमलपुर बाँगला) तक 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाल परियोजना अन्तर्गत विकास" के कि०मी० 19.060 से कि०मी० 50.700 तक

उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम-हलगोया) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम-अतमलपुर बाँगला) तक 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाल परियोजना अन्तर्गत विकास" के कि०मी० 19.060 से कि०मी० 50.700 तक परियोजना के निर्माण कार्य हेतु 1.6535 हेक्टे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०-रूड़की, हरिद्वार प्रयोक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं० 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाइन, ओ०एफ०सी केबिल पाईपलाइन बिछाने आदि प्रयोजनों के प्रकरणों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


महाप्रबंधक (तक०) सह
परियोजना निदेशक
भा०रा०रा०प्रा०,
पी०आई०यू०-रूड़की,
हरिद्वार।


तहसीलदार
रूड़की।

तहसीलदार
रूड़की


उप जिलाधिकारी
रूड़की।

 जिलाधिकारी
रूड़की

Form-1
(For Liner Projects)
Government of India
Office of the District Collector

No.....

Dated 29/08/2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Govt. of India's Letter no. 11-09/98-FC 9 (Pt.) Dated 3rd August, 2009 wherein the MOEF issued guidelines on the submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest rights) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of the linear project, it is certified that 1.6535 hectares Protected forest land proposed to be diverted in favour of **National Highway Authority of India (NHAI)** (name of user agency) for Development of 6-lane (Green Field) access controlled Spur to Haridwar UP/Uttarakhand Border near Manakpur Adampur Village (Chainage 19+070) to Manoharpur Village (Chainage 50+090) in Haridwar District of Uttarakhand State falls within the jurisdiction of Bajuhedi and Mehwad kalan villages (s) in Roorkee Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.6535 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s), and the District Level Committee(s) are enclosed in the annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha has given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve the recognized right of primitive Tribal Groups and pre-agricultural committees.


 GM (Tech.) cum
 Project Director,
 NHAI, PIU-Roorkee
 Haridwar


 Tehsildar
 Roorkee
 तहसीलदार
 रुड़की


 Sub District Magistrate
 Roorkee
 उप जिलाधिकारी
 रुड़की


 District Collector
 Haridwar
 जिलाधिकारी
 हरिद्वार

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम:- जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम-हलगोया) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम-अतमलपुर बाँगला) तक 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाल परियोजना अन्तर्गत विकास" के कि०मी० 19.060 से कि०मी० 50.700 तक

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम-हलगोया) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम-अतमलपुर बाँगला) तक 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाल परियोजना अन्तर्गत विकास" के कि०मी० 19.060 से कि०मी० 50.700 तक परियोजना के निर्माण कार्य हेतु 1.6535 हेक्टर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०-रूड़की, हरिद्वार प्रयोक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं० 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाइन, ओ०एफ०सी केबिल पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों के प्रकरणों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


महाप्रबंधक (तक०) सह
परियोजना निदेशक
भा०रा०रा०प्रा०,
पी०आई०यू०-रूड़की,
हरिद्वार।


तहसीलदार
रूड़की।
तहसीलदार
रूड़की


उपजिलाधिकारी
रूड़की।
जिलाधिकारी
रूड़की


जिलाधिकारी
हरिद्वार।
जिला अधिकारी
हरिद्वार

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम-हलगोया) से शुरू होकर उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम-अतमलपुर बाँगला) तक 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाल परियोजना अन्तर्गत विकास के कि०मी० 19.060 से कि०मी० 50.700 तक निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

क्षेत्र पंचायत का नाम : मेहवड़ कंला
तहसील :-रूड़की

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड में जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड बॉर्डर मानकपुर आदमपुर ग्राम के निकट (कि०मी० 19+070) से ग्राम मनोहरपुर (कि०मी० 50+090) तक परियोजना निर्माण हेतु 1.6535 हेक्टर संरक्षित वन भूमे का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०-रूड़की, हरिद्वार के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में क्षेत्र पंचायत मेहवड़ कंला द्वारा दिनांक को सम्पन्न उपरोक्त क्षेत्र पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदन वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत वन भूमि में आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथावा नहीं। उपस्थित सभा क्षेत्र पंचायत वासियों द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त क्षेत्र पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०-रूड़की, हरिद्वार को उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

योगेन्द्र कुमार
क्षेत्र पंचायत सदस्य
मेहवड़ कंला
वि० सं० २०२०
ग्राम मेहवड़ कंला तहसील

प्रपत्र-23.1

दिनांक.....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
क्षेत्र पंचायत

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	देवी सिंह	देवी
2.	अनुराग	अनुराग
3.		
4.	पाल सिंह	पाल सिंह
5.		ग्राम पंचायत मेहनत और दि० ख० ठाकुर वि० अरक्षण
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		